

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/म.गाँ.अनु./प्रस्ताव/61091/2022-23/310-311 दिनांक: 22.02.2023

संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा,
जोधपुर।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, जोधपुर।

जरिये ई-मेल

विषय :- 02 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) की स्थापना के संबन्ध में।
प्रसंग :- राज्य सरकार का पत्रांक: प.04(15)शिक्षा-1/2021 पार्ट-1 जयपुर, दिनांक: 08.02.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2022-23 की घोषणा संख्या 26 की क्रियान्विति एवं पालना के अनुसरण में निम्न तालिका में अंकित 02 राजकीय विद्यालयों को "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" में रूपान्तरित किये जाने की शर्ताधीन स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	विधानसभा क्षेत्र	ग्राम पंचायत	रूपान्तरित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	यू डीएस कोड
1	JODHPUR	PHALODI	PHALODI	KHARA	GPS KHARA GAON	08150202202
2	JODHPUR	PHALODI	PHALODI	NANEU	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NANEU (PHALODI) (220144)	08150250102

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 102300341 दिनांक: 06.02.2023 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

शर्त:-

1. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपान्तरित किये गए उक्त विद्यालयों का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से प्रारम्भ किया जायेगा।
2. उक्त रूपान्तरित विद्यालयों में सत्र 2023-24 में कक्षा 1-5 तक की कक्षाओं को ही अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरित किया जायेगा एवं आगामी सत्रों में क्रमशः कक्षा 6-8 एवं तत्पश्चात् पूर्व में जारी निर्देश दिनांक: 14.06.2019 के अनुसार कक्षाओं का संचालन किया जायेगा।
3. रूपान्तरण से पूर्व विद्यालय में जिस तृतीय भाषा का संचालन किया जा रहा था, अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरण के पश्चात् भी उक्त विद्यालय में उसी तृतीय भाषा का संचालन किया जायेगा।
4. रूपान्तरित किये जाने वाले विद्यालय का नाम, क्षेत्र, स्तर, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिले के नाम, एनआईसी व यू-डीएस कोड की जांच करते हुए ही आदेश जारी किये जावें।

सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)

आइ.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-


1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज(प्रा.शि.), राजस्थान, बीकानेर।
10. शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

11. संयुक्त निदेशक, जनशक्ति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
13. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
14. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
15. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., शिक्षा संकुल, जयपुर।
16. उप निदेशक (मूल्यांकन), शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
18. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा (संबंधित जिला)।
19. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (संबंधित जिला)।
20. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा (संबंधित जिला)।
21. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा (संबंधित ब्लॉक)।
22. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
23. उप निदेशक (शाला दर्पण प्रकोष्ठ), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि शाला दर्पण पोर्टल पर उक्तानुसार विद्यालय को अद्यतन करवाने की यथाशीघ्र कार्यवाही संपादित करावें।
24. सहायक निदेशक, माध्यमिक/योजना/बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा।
25. सहायक निदेशक, शैक्षिक अनुभाग, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
26. सहायक निदेशक, महात्मा गांधी अनुभाग (प्रभाग-ब), कार्यालय हाजा को शासन के रवीकृति पत्र दिनांक: 08.02.2023 की प्रति आगामी नियमानुसार कार्यवाही (पद, प्रवेश, साक्षात्कार इत्यादि के संबंध में) सम्पादित करने हेतु।
27. रक्षित पत्रावली।

Rajasthan Education Department



सत्यमेव जयते


 उप निदेशक(महात्मा गांधी विद्यालय)
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर